

(प्रपत्र-50)

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या - 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक - 05/02/2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी	V
2. हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.4 (औसत घनत्व 0.30)
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	657000/- रु0
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	65.0467 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशी	4,27,35,682=00

Amik

अवर-अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

Sudhanshu

सहायक अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

Scf

अधिशाली अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

on 2

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी वन प्रभाग

V

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम— जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत—65.0467 है०) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड, ऋशिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्रों (आरक्षित वन भूमि—51.0319 है०, तथा सिविल सोयम वन भूमि— 6.8762 है०, (सिविल सोयम) वन पंचायत भूमि— 2.8130 है० तथा सिविल सोयम जलमग्न भूमि— 4.3256 है० कुल 65.0467 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्रों का औसत घनत्व 0.3 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 6,57,000=००(रू० छः लाख सत्तावन हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 4,27,35,682=००(रू० चार करोड़ सताईस लाख पैंतीस हजार छः सौ बयासी मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(प्रपत्र-50)

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या - 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक - 05/02/2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी
2. हरियाली का घनत्व
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है०
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशी

V
0.4
@ 657000/-
34.6034
₹ 22734434=00

Anil
अवर अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

Sushrini
सहायक अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

Ad
अधिसासी अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आकलन

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 127.6712 है0 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत है जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति है0 दर रू0 8.45 लाख मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 1078.82 लाख मात्र किया गया है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

Anil

अवर अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

Sudhanshu

सहायक अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

fd

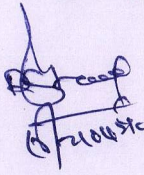
अधिसासी अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

(प्रपत्र-50(a))

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

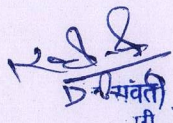
वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु कुल 127.6712 है० वन भूमि में से मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 65.0467 है० वन भूमि (आरक्षित वन भूमि, जलमग्न भूमि, सिविल भूमि एवं वन पंचायत भूमि) सर्किल दर के अनुसार मूल्य रू० 880000.00 प्रति है० की दर से 65.0467 है० भूमि का कुल मूल्य रू० 57241096.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेंट शून्य रू० होता है।



Anurag
अवर अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश



Sukhmani
सहायक अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

अधिशायी अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
डोईवाला

तहसीलदार
देहरादून

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक
तहसीलदार
डोईवाला

तहसीलदार (सदर)
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

उप जिलाधिकारी
देहरादून
परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक
तहसीलदार
धनोल्दी
तिहरी गढ़वाल।

उप जिलाधिकारी
धनोल्दी

जिलाधिकारी
तिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

(प्रपत्र-50(a))

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु कुल 127.6712 है० वन भूमि में से देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत 62.6245 है० वन भूमि (आरक्षित वन भूमि, जलमग्न भूमि, सिविल भूमि एवं वन पंचायत भूमि) सर्किल दर के अनुसार मूल्य रू० 880000.00 प्रति है० की दर से 62.6245 है० भूमि का कुल मूल्य रू० 55109560.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट शून्य रू० होता है।

[Signature]
अवर अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

[Signature]
अवर अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

[Signature]
(कुलदीप सिंह रावत)
उपराज्य आयुक्त
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड
ऋषिकेश

[Signature]
सहायक अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

[Signature]
अधिशाली अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग

[Signature]
मैनाका कठेत
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-
तहसील

[Signature]
तहसीलदार
डोईवाला

[Signature]
तहसीलदार
देहरादून

[Signature]
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

[Signature]
उप जिलाधिकारी
देहरादून

परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

[Signature]
राजस्व उप निरीक्षक
बालिकेशन
राजस्व उपनिरीक्षक

[Signature]
तहसीलदार
धनोल्दी
तिहरी गढ़वाल।



उप जिलाधिकारी
धनोल्दी

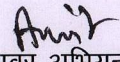
[Signature]
जिलाधिकारी
तिहरी गढ़वाल
जिला अधिकारी
तिहरी गढ़वाल।

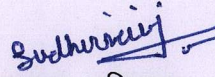
[Signature]
जिलाधिकारी
देहरादून
जिला अधिकारी
देहरादून

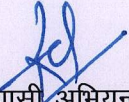
कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अवर अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश


सहायक अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अवस्थापना पुर्नवास
खण्ड ऋषिकेश